

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना


अधि०सं० :-3/अ०प्र०-1-425/2012

960

/पटना, दिनांक :- 6.5.22

श्री वीरेन्द्र प्रसाद, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध लखीसराय जिलान्तर्गत राजस्व भवन निर्माण एवं ई-किसान भवन निर्माण में बरती गयी अनियमितता के लिए आरोप पत्र गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-2700 दिनांक-23.07.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. श्री वीरेन्द्र प्रसाद, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय दिनांक 31.12.2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अतएव उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है।



(कृष्ण मोहन सिंह)


उप सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ०प्र०-1-425/2012

961

/पटना, दिनांक :- 6.5.22

प्रतिलिपि :- श्री वीरेन्द्र प्रसाद, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत्त, पत्राचार का पता :- विद्यानगर वेस्ट, रोड नं०-2, हरमू रांची, हनुमान मंदिर के पास, डाकघर-हरमू, थाना-सुखदेव नगर, जिला-रांची, झारखंड, पिन कोड-834002 तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




उप सचिव

ज्ञापांक:-3/अ०प्र०-1-425/2012

961

/पटना, दिनांक :- 6.5.22

प्रतिलिपि:-विभागीय आईटी0 मैनेजर, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



उप सचिव